तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
2/6/26	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की अनवानी वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है वादी ने राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1970 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार चाहे है जबकि यहां यह उल्लेखित किया जाना अत्यन्त न्यायोचित है कि उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1970 को श्रीमान् न्यायालय द्वारा ही पूर्ववर्ती राजस्व वादपत्र संख्या 96/1980 बउनवानी सत्यनारायण बनाम हजारी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 से नल एवं वोईड व प्रभावशून्य घोषित किया जा चुका है तथा उपरात्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 को किसी भी पक्ष द्वारा आज दिनांक तक सक्षम उच्चतर न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से यह डिक्री आज भी प्रभाव एवं प्रवर्तन में है तथा वर्तमान में इस डिक्री को चुनौती देने की परिसीमा अवधि का अवसान हो चुका है तथा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेख इसी पूर्ववर्ती डिक्री के आधार पर संधारित है इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 के प्रभाव में रहते शून्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1970 के आधार पर वादी को वर्तमान वादपत्र प्रस्तुत करने का वादकारण हासिल नहीं होता है एवं शून्य घोषित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28. 09.1970 का कोई विधिक औचित्य नहीं होने से यह एक रद्दी पेपर है जिसके आधार पर प्रस्तुत किया गया वादी का वादपत्र तुच्छ, निरर्थक एवं श्रीमान् न्यायालय का बहुमूल्य समय व्यर्थ करने वाला है इसलिए एसे वादपत्र को धारा 151 सीपीसी की शक्तियां के तहत इसी स्तर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि समान न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री को उसी समान न्यायालय द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये वादपत्र से आक्षेपित नहीं किया जा सकता है और न ही नवीन वादपत्र में पूर्ववर्ती निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जा सकता है अतः वर्तमान प्रकरण में चूंकि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09. 1970 को श्रीमान् न्यायालय के द्वारा ही पूर्ववर्ती वादपत्र संख्या 96/1980 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 में नल एंड वोईड व प्रभावशून्य घोषित किये जाने से इस शून्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09. 1970 के आधार पर वर्तमान राजस्व वादपत्र संधारण योग्य एवं पोषणीय नहीं है और शून्य विक्रय पत्र से वादी को वादकारण भी हासिल नहीं होता है इसलिए यह पश्चातवर्ती राजस्व वादपत्र बोगस, निरर्थक एवं बगैर वाद कारण के तथा विधि द्वारा वर्जित होने से उपरोक्त कारणों व आधारों के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमावे। अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 06.11.1981 को डिक्री हो चुका है चुकि उक्त निर्णय व डिक्री हुयी है जबकि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की जरिये रजिस्टर बेयनामा खरीदशुद्वा भूमि है जो उनकी मृत्यू के बाद वादी के द्वारा दावा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया है चुकी	

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बैयनामा पुराना हो चुका था इसलिए बैयनामा के आधार पर उक्त वाद पेश किया है वादी का वाद बैयनामा दिनांक 28/09/1970 के ताबे है तथा प्रतिवादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र लगाने की अधिकारीता हासिल नही है। तथा प्रतिवादीगण का कथन कि बैयनामा को रद्दी पेपर बताकर तोहिन की है। तथा वाद धारा 151 सीपीसी के तहत खारीज नही किया जा सकता है चुकि पूर्व वाद अगर कोई हुआ है। उसमें ना तो वादी पक्षकार था तथा ना ही प्रतिवादीगण पक्षकार थे इसी आधार पर प्रार्थना पत्र काबिले खरीजी के है तथा ना तो वादी का वाद विधि के वर्जित है तथा काबिले चलने के है तथा प्रार्थना पत्र काबिले खारीज होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद पेश कर अपने हको की घोषणा का वाद पेश किया गया है।

प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कथन है कि पूर्व में इसी न्यायालय में प्रकरण संख्या 95/1980 अनवानी सत्यनारायण बनाम हजारी घोषणात्मक वाद पेश किया गया था जो बाद सुनवाई दिनांक 06.11.1980 को डिक्री किया गया था जो आदिनांक तक प्रभावी है।

अप्रार्थी/वादी का कथन है पूर्व वाद में वादी/प्रतिवादीगण पक्षकार नही थे इसलिये पूर्व वाद का प्रभाव वर्तमान वाद पर नही है अप्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य नही है।

पूर्व वाद संख्या 95/1980 अनवानी सत्यनारायण बनाम हजारी में वर्णित भूमि व हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एक समान है तथा पूर्व वाद हस्तगत वाद के वादी /प्रतिवादीगण के पूर्वजो के मध्य विचाराधीन रहा था अर्थात यह नही कहा जा सकता की पूर्व वाद मे वह पक्षकार नही था पूर्व वाद में वादी/प्रतिवादी के पूर्वज पक्षकार होने के कारण वादी /प्रतिवादी भी पूर्व वाद मे पक्षकार माने जावेगे।

पूर्व वाद में वर्णित भूमि व हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एक समान है पूर्व वाद में दिनांक 06.11.1980 को निर्णय पारित किया जाकर वाद भूमि के सम्बध में घोषणा की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का कोई हक हिस्सा नही माना गया था अर्थात वादी के पूर्वजो का कोई हक हिस्सा नही माना गया था अब वादी ने उसी भूमि के सम्बध मे वाद पेश किया गया है जो विधिसम्मत नही है वादी को पूर्व निर्णय के प्रभावी होने के कारण कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नही होता है।

पूर्व में पारित निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अर्थात हस्तगत वाद के वादी /प्रतिवादीगण के पूर्वज पक्षकार थे हस्तगत वाद में उसके वारिसान के द्वारा वाद पेश किया गया है जो विधिसम्मत नही है तथा जिन तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है वह तथ्य पूर्व वाद में ही तय किये जा चुके है पूनः उन्ही तथ्यो पर उनके वारिसान वाद पेश करने के अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद में वर्णित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1970 को न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती राजस्व वादपत्र संख्या 96/1980 बउनवानी सत्यनारायण बनाम हजारी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 से नल एवं वोईड व प्रभावशून्य घोषित किया

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जा चुका है तथा उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 को किसी भी पक्ष द्वारा आज दिनांक तक सक्षम उच्चतर न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से यह डिक्री आज भी प्रभाव में है तथा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेख इसी पूर्ववर्ती डिक्री के आधार पर संधारित है इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1981 के प्रभाव में रहते शून्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1970 के आधार पर वादी को वर्तमान वादपत्र प्रस्तुत करने का वादकारण हासिल नहीं होता है एवं शून्य घोषित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28. 09.1970 का कोई विधिक औचित्य नहीं रहा है पूर्व वादी /प्रतिवादी के पूर्वजो के द्वारा पेश किया गया था इसलिये वादी उन्ही आधारो पर पुनः इसी न्यायालय में पेश कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/6/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Zahid

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65 / 2025

अनवान : –

1. आशकर्म पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर
2. गजानन्द पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. भादर राम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. देवीलाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

6. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. विद्या देवी पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
8. तारावन्ती उर्फ राकेश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
9. सन्तरो देवी पत्नि रामजीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 65 सन 2025 निर्णय दिनांक 02/06/2026

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर